

3. All concerned are advised to contact the Chairperson/Member of the Complaint Cell, for redressal of their grievances, if any.
4. This issues with the approval of Revenue Secretary.
5. Hindi version is enclosed.

AGB
7.03/07

(Amit Gunvant Bhole)
 Deputy Secretary to the Govt. of India
 Tel: 011-23092103

All officers/Sections of Department of Revenue

Copy To:

1. Ms. Himabindu Mudumbai, Joint Secretary (Admn), CBIC
2. Ms. Neha Kalra Asnani, Deputy Secretary, TRU, CBIC
3. Shri Rajinder Kumar, Deputy Secretary, AD-VI, Department of Revenue
4. Mrs. Kuljit Kaur, Secretary General, All India Women's Conference, Sarojini House, 6, Bhagwandas Road, New Delhi
5. Ms. Rubal Saroha, Under Secretary, CX.I, CBIC, Department of Revenue
6. Shri Xavier Toppo, Under Secretary-(Coord), Department of Revenue
7. Ms. S Hemalatha, Section Officer, AD.I, Department of Revenue
8. US-GAR - for uploading the order on the website of DoR

Member	
Member	
Member	

As per the directions issued by Cabinet Secretary vide letter no. 11007/10072 dated 11th August 2009, the Complaint Cell is requested to hold quarterly meeting of the complaint cell even if there are no complaints and review the state of preparedness to deal with such complaints reviewed as also measures to be taken to make all officers fully aware of their responsibilities in this regard.

फा. सं. ओ-21030/15/2010-समन्वय -पार्ट II

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(समन्वय अनुभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 03 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन


विषय: कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राजस्व विभाग (मुख्यालय) में शिकायत प्रकोष्ठ का पुनर्गठन- तत्संबंधी

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 20 सितंबर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/25/2005-समन्वय और तदोपरांत दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए राजस्व विभाग के आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ का निम्नलिखित रूप से पुनर्गठन किया जाता है:-

1.	सुश्री हिमाबिंदु मदुम्बई, संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)	अध्यक्ष
2.	सुश्री नेहा कालरा असनानी, उप सचिव, टीआरयू, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)	सदस्य
3.	श्री राजेंद्र कुमार, उप सचिव, प्रशा. VI, राजस्व विभाग	सदस्य
4.	श्रीमती कुलजीत कौर, महासचिव, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सरोजनी हाउस, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली	सदस्य
5.	सुश्री एस. हेमलता, अनुभाग अधिकारी, प्रशा. I, राजस्व विभाग	सदस्य
6.	श्री जेवियर टोप्पो, अवर सचिव (समन्वय), राजस्व विभाग	सदस्य
7.	सुश्री रूबल सरोहा, अवर सचिव, सीएक्स-1, सीबीआईसी, राजस्व विभाग	सदस्य सचिव

2. मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 के पत्र सं. 1/109/7/2009-टीएस के तहत जारी निदेशों के अनुसार शिकायत समीक्षा प्रकोष्ठ से अनुरोध है कि शिकायतों के संबंध में नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित की जाएं, चाहे कोई शिकायत न भी प्राप्त हो, और उन बैठकों में ऐसी शिकायतों से निपटने के संबंध में तैयारी की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ सभी अधिकारियों को इस संबंध में उनकी जिम्मेदारियों के प्रति पूर्ण रूप से जागरुक बनाने के लिए उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए।

3. सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतों, यदि कोई है, के निवारण के लिए शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष/सदस्य से संपर्क करें।
4. यह पत्र राजस्व सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


 (अमित गुणवंत भोले)

उप सचिव, भारत सरकार
 दूरभाष: 01123092103

राजस्व विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सुश्री हिमाबिंदु मदुम्बई, संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)
2. सुश्री नेहा कालरा असनानी, उप सचिव, टीआरयू, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)
3. श्री राजेंद्र कुमार, उप सचिव, प्रशा. VI, राजस्व विभाग
4. श्रीमती कुलजीत कौर, महासचिव, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सरोजनी हाउस, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली
5. सुश्री रूबल सरोहा, अवर सचिव, सीएक्स-1, सीबीआईसी, राजस्व विभाग
6. श्री जेवियर टोप्पो, अवर सचिव (समन्वय), राजस्व विभाग
7. सुश्री एस. हेमलता, अनुभाग अधिकारी, प्रशा. I, राजस्व विभाग
8. अवर सचिव - सामान्य प्रशासन - राजस्व विभाग की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करने के लिए